न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 43/2019

आरसीएमएस संख्या 2019/00043

शंकरलाल पुत्र श्री लेखराम जाति सिन्धी निवासी सिन्धी मोहल्ला वार्ड नं0 22 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ। —अपीलांट

बनाम

1. प्रहलाद सिंह पुत्र नाजर सिह
2. रामेश्वरी देवी पत्नी भागीरथ

} जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

3. वकील सिंह पुत्र रूप सिंह जाति जटसिख
4. मुखत्यार कौर पुत्री रूप सिंह जाति जटसिख
5. गुरमेल कौर पुत्री रूप सिंह जाति जटसिख
6. काला सिह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख
7. बिन्द्र कौर पत्नी गुरतेज सिह जाति जटसिख
8. जगदीप पुत्र गुरतेज सिह जाति जटसिख
9. जगवंत सिंह पुत्र गुरतेज सिह जाति जटसिख
10. अंग्रेज सिह
11. हरदयाल सिह
12. तोता सिह
13. माडा सिह
14. सुखदेव सिंह

} पिसरान धनिया सिंह जाति जटसिख

} निवासी सतीपुरा तहसील व व जिला हनुमानगढ।

15. जीवन सिह पुत्र करतार सिह पुत्र धनिया सिंह
16. गुरदीप सिह पुत्र करतार सिह
17. दर्शन सिह सन्ता सिह
18. नक्षत्र सिंह पुत्र निधान सिंह पुत्र संता सिंह
19. कौर सिंह पुत्र संता सिंह (फौत)
20. जगतार सिह पुत्र करनैल सिह
21. बूटा सिह पुत्र रामप्यारी पत्नी स्व0 लखन सिंह
22. कलवंत कौर पुत्री रामप्यारी
23. गुरजिन्द्र सिह पुत्र सुखदेव सिह
24. परविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह
25. गुरचरण सिंह पुत्र भजन सिह
26. हरबंस कौर पत्नी गुरबचन सिह
27. निर्मल सिह पुत्र गुरदयाल सिंह
28. सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिह

} निवासी ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी

29. मन्शा पुत्र बींझा (फौत)
   - 29/1 विनोद कुमार पुत्र स्व0 मुशाराम
   - 20/2 करणयी पुत्र स्व0 मुशाराम
   - 29/3 कमलादेवी पत्नी सुभाष पुत्र स्व0 मंशाराम

   } जाति सुथार निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ

30. वकील पुत्र गुरचरण सिंह
31. गुरदीप सिह पुत्र हरदम सिह
32. सुखमन्दर सिह पुत्र हरदम सिंह
33. कलवन्त सिह पुत्र हरदम सिह

} जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

34. रामेश्वरलाल पुत्र बीरबलराम
35. रणवीर पुत्र लालचंद

} जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला जिला हनुमानगढ

36. अमित कुमार पुत्र डॉ रामप्रताप जाति जाट निवासी नई धानमण्डी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
37. उधम सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख
38. गुरदेव सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जटसिख

} निवासी सतीपुरा तहसील व जिला व जिला हनुमानगढ।

39. जसविन्द्र सिह पुत्र जसवंत सिंह
40. रणजीत सिंह पुत्र करम सिंह
41. बलजीत कौर पत्नी मलकीत सिह
42. कलवन्त सिंह पुत्र मलकीत सिंह
43. बलवन्त सिह पुत्र मलकीत सिह

} जाति जरखान निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

44. जसकरण सिह पुत्र बूटा सिंह
45. गुरदास सिंह पुत्र बन्ता सिंह

} जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

46. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा हनुमानगढ।
47. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमागनढ।
48. गुरबच सिह पुत्र अर्जन सिंह
49. सुखविन्द्र सिंह पुत्र हसवन्त सिंह

} जाति तरखान निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2018 प्रकरण सं. 162/2008
अनवान प्रहलाद आदि बनाम गुरतेज सिह आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:16 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः—
श्री विनोद कुमार पारीक व श्री राजेश [illegible] अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री इन्द्राज गोदारा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 47
श्री चानणराम वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 21
श्री गुरमोहन सिह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 36

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 28.06.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वाद पत्र में मुताबिक घरू बंटवारा (पारिवारिक समझौता) व कब्जा काश्त के अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 2 के अनुसार खाता तकसीम कर अलग से काम किये जाने व प0 नं0 131/252 के किला नं. 23 में 1 बिस्वा भूमि गैर मु0 रास्ता दिलवाया जाने व इसी अनुसार रकमराज भी अलग से कामय किये जाने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार समस्त पक्षकार खाता विभाजन करवाने हेतु सहमत होने एवं तसहीलदार से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव 05.12.2017 व नवीन संशाधित प्रस्ताव प्रतिवादी संख्या 35, 50 व 51 दिनांक 29.06.2018 को शामिल करते हुए पक्षकारों की विभाजन प्रस्ताव अनुसार सहमति के आधार पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउण्टर कलेम डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट द्वारा चक 50 एनजीसी के खाता संख्या पुराना 67/59 वर्तमान 84/80 के खातेदार बलजीत कौर धर्मपत्नी मलकीत सिह व गुरदास सिहसे उनके हक व हिस्सा व कब्जा काश्त मुताबिक प. नं. 131/252 के किला नं. 7/.084, 8/.253, 1/.127 14/.042 कुल तादादी 0.506 है0 कृषि भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी जो अपीलाण्ट के ही कब्जा काश्त में चली आ रही है। परन्तु राजस्व अभिलेख में अभी तक उक्त खाता संयुक्त रूप से दर्ज है जिस कारण अपीलांट व अन्य खातेदारान के मध्य सींव, बट व रकमराज को लेकर झगड़ा रहता है। अपीलांट मुताबिक कब्जाकाश्त उक्त कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाकर व उसी अनुसार रकमराज भी अलग से कायम करवाने का अधिकारी था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट की उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में अकृषि कार्य किये जाने सम्बंधी गलत रिपोर्ट की गई है, जबकि अपीलांट ने इस भूमि का कभी भी अकृषि कार्य में उपयोग नहीं किया है। यदि अकृषि कार्य में भूमि का उपयोग उपभोग किया होता तो तहसीलदार अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 177 की कार्यवाही करता जो नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय विधि सम्मत है। प्रकरण में अधीकांश पक्षकारों द्वारा खाता विभाजन करने में सहमति दी है। सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है। प्रश्नगत भूमि 50 एनजीसी के खाता संख्या पुराना 67/59 वर्तमान 84/80 के खातेदार बलजीत कौर धर्मपत्नी मलकीत सिह व गुरदास सिहसे उनके हक व हिस्सा व कब्जा काश्त मुताबिक प. नं. 131/252 के किला नं. 7/.084, 8/.253, 13/.127 14/.042 कुल तादादी 0.506 है0 कृषि भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय अपीलाण्ट द्वारा खरीद की गई है जो उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है और संयुक्त खाता में दर्ज है। ऐसा कोई साक्ष्य रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग किया गया हो। यदि अकृषि कार्य में भूमि का उपयोग किया जाता तो तहसीलदार धारा 177 के अन्तर्गत कार्यवाही करता जबकि धारा 177 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई हो ऐसा भी तथ्य सामने नहीं आया है। राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण अपीलांट एवं अन्य खातेदारान के मध्य सींव, बट व रकमराज को लेकर झगड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि का खाता विभाजन कर रकम राज अलग कायम किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में आंशिक संशोधिन किया जाना उचित है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2018 व डिक्री दिनांक 29.10.2018 को 50 एनजीसी के खाता संख्या पुराना 67/59 वर्तमान 84/80 के प. नं. 131/252 के किला नं. 7/.084, 8/.253, 13/.127 14/.042 कुल तादादी 0.506 है0 कृषि भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है उक्त भूमि का अपीलाण्ट के नाम से अलग से खाता कायम किया जावे एवं उसी अनुसार रकमराज भी अलग से कायम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय के शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/22

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:16 IST
Reason: SelfAttested